म.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, भोपाल

आदेश–पत्रिका

कार्यवाही की तारीख,	आदेश
	भू–संपदा परियोजना के आंशिक भाग की वापसी.
11.7.19	प्राधिकरण में प्रोजेक्ट के आंशिक भाग को वापस लेते हुए शेष भाग को पंजीयन में मान्य करने के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। प्राधिकरण व्दारा दिनांक 8 जुलाई 2019 को इस संबंध में विचार किंया गया। ऐसे प्रस्तावों के परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं –

1– परियोजना की आंशिक वापसी का कारण।

2– परियोजना की आवश्यक अधोसंरचना व मूलभूत सुविधाओं के पर्याप्त होने का प्रमाण।

3– परियोजना में पूर्व में प्रस्तावित व आश्वासित सामान्य सुविधाओं (Common facilities and amenities) जैसे क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, बाउण्ड्री वॉल, गेट इत्यादि अनुपूरक इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं करने का प्रमाण और शपथ पत्र।

4– यदि प्रोजेक्ट के आंशिक वापसी के भाग में कोई बुकिंग नहीं ली गई है तो संप्रवर्तक बुकिंग न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करें। शपथ पत्र में भविष्य में परियोजना में बुकिंग या विज्ञापन के पूर्व पंजीयन की कार्यवाही पुनः करने का आश्वासन हो।

5– यदि प्रोजेक्ट के आंशिक वापसी के भाग में कोई में बुकिंग ली गई है तो संप्रवर्तक आवंटितियों की ब्याज सहित राशि वापस करें और शपथ पत्र पर निम्नलिखित तालिका में विवरण दें –

आवंटी का नाम	प्राप्त राशि	प्राप्ति दिनांक	वापस की गई राशि	राशि वापसी का दिनांक	आवंटी का पता व ईमेल	आवंटी का दूरभाष क्र.

6– आंशिक वापसी के फलस्वरूप पूर्व में जमा शुल्क वापस नहीं की जावेगी।

7– यदि समयावधि विस्तार होना है तो प्राधिकरण व्दारा आंशिक वापसी के अनुमोदन हो जाने के उपरांत विस्तार के लिए शेष भाग का विस्तार शुल्क देय होगा।

8– आंशिक वापसी के विवरण और शेष बनाये जा रहे परियोजना का विवरण परियोजना एवं प्राधिकरण की वेबसाइट पर दर्शाया जाए।

9– परियोजना में विद्यमान आवंटियों को संशोधित विवरण सूचित किए जावें, जिसकी सूचना प्राधिकरण को भी दी जाए।

सचिव, रेरा उपरोक्त दिशा निर्देश प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रसारित करें।